# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0-सरकार का उपक्रम)

# U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.

CIN:U32201UP1999SGC024928.


संख्या–832–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–3(205)ई0एम0–03 / 2001 दिनांक : 19 अगस्त, 2020

## आदेश

श्री गऊलाल, (अभिज्ञान सं0–2001205, सम्प्रेक्षा सं0–जी–345 व वरिष्ठता क्रमांक 7263), तत्कालीन प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड, सेस–प्रथम, लखनऊ के प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.05.2012 द्वारा स्वयं के कैंसर रोग के चेकअप हेतु तत्काल मुम्बई जाने एवं चिकित्सा के दौरान सात या आठ दिनों की अवधि लगने की सूचना से अपने नियंत्रक अधिकारी, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सेस–प्रथम, लेसा, लखनऊ को अवगत कराया गया था। अग्रेतर श्री गऊलाल ने अपने चिकित्सा के संदर्भ में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सेस–प्रथम, लखनऊ को बिना किसी चिकित्सीय परामर्श / अभिलेख संलग्न किये ही, पंजीकृत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2012 के माध्यम से उपचार यथावत चलने व स्वस्थ होने में कई माह लगने की सूचना दी गई थी।

तत्पश्चात् दीर्घ अवधि (लगभग 07 वर्ष) व्यतीत होने के उपरान्त श्री गऊलाल, तत्कालीन सहायक अभियंता ने चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी (चित्रकूट), द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र दिनांक 24.04.2019 के साथ अपनी योगदान आख्या दिनांक 29.04.2019 अपने नियंत्रक अधिकारी, अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड (सेस–प्रथम) लेसा, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए समस्त प्रपत्र, उच्च अधिकारी को प्रेषित करने एवं अनुपस्थित अवधि को असाधारण / चिकित्सीय अवकाश के रूप में स्वीकृत करने हेतु आग्रह किया।

श्री गऊलाल, सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या व अन्य सम्बन्धित मूल प्रपत्र संलग्न करते हुए, अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड (सेस–प्रथम) लेसा, लखनऊ ने अपने पत्रांक सं0–1149 / वि0वि0ख0 (सेस–प्रथम) दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से दीर्घ अवधि से कार्यालय में अनुपस्थित रहने व कार्यभार ग्रहण संबधी प्रकरण को सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता व अग्रेतर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा डिस्काम मुख्यालय, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0 को, अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया। श्री गऊलाल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, मविविनिलि0 के समक्ष प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 17.06.2019 में, यह उल्लेख किया कि उनके द्वारा अनुपस्थिति की अवधि में कोई नौकरी तथा व्यवसाय नहीं किया गया है एवं उनके विरूद्ध किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है न ही कोई मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

तदोपरान्त मुख्य अभियंता स्तर–। (मा0स0 एवं प्रशा0) डिस्काम मुख्यालय ने अधिशासी अभियंता, (सेस–प्रथम) से पत्र दिनांक 17.07.2019 द्वारा मांगी गई आख्या तथा दिनाक 07.08.2019 के माध्यम से अधिशासी अभियंता, (सेस–प्रथम) द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या सहित, श्री गऊलाल, सहायक अभियंता के अनुपस्थित–अवधि व कार्यभार ग्रहण करने के प्रकरण पर, उचित निर्देश प्राप्त करने हेतु, सम्पूर्ण प्रकरण पत्रांक सं0–1724–प्रनि / मविविनिलि / ई–1 दिनांक 22.08.2019 के माध्यम से, निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को अग्रसारित किया गया।

श्री गऊलाल, सहायक अभियंता ने अपने कार्यस्थल से चिकित्सा हेतु अनुपस्थित रहने व प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.07.2012 के उपरान्त स्वयं का उपचार जारी रहने की सूचना से कारपोरेशन मुख्यालय/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, को अवगत नहीं कराया गया तथा अपने कार्यस्थल से बिना किसी पत्राचार/सूचना के लगभग 07 वर्षों तक अनुपस्थित रहे। श्री गऊलाल, द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या दिनांक 29.04.2019 के साथ संलग्न उपचार विवरण के अनुशीलन से विदित होता है कि श्री गऊलाल द्वारा, मुम्बई के विभिन्न चिकित्सालयों में दिनांक 21.05.2012 से 08.01.2013 तक जॉच एवं चिकित्सीय परामर्श लिया गया, उसके उपरान्त दिनांक 29.04.2019 तक क्या उपचार लिया गया, वह अस्पष्ट है।

श्री गऊलाल, सहायक अभियन्ता के दिनांक 16.05.2012 से 29.04.2019 तक की अनुपस्थित अवधि में अल्प अवधि (दिनांक 21.05.2012 से 08.01.2013 तक) चिकित्सीय परामर्श लेने एवं तदोपरान्त अवधि का चिकित्सीय उपचार सम्बन्धी अभिलेख की अनुपलब्धता से प्रमाणित होता है कि श्री गऊलाल लगभग 07 वर्षों तक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहे।

कारपोरेशन स्तर पर श्री गऊलाल के अनुपस्थित अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन होने के मध्य ही श्री गऊलाल ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.11.2019 व दिनांक 07.12.2019 तथा शपथ–पत्र. दिनांक 06.01.2020 द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं एवं सहायक अभियंता के पद के कार्य एवं दायित्व कठिन प्रकृति के होने के कारण, दिनांक 16.05.2012 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

अतएव श्री गऊलाल, (अभिज्ञान सं0–2001205, सम्प्रेक्षा सं0–जी–345), तत्कालीन सहायक अभियन्ता के प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.11.2019 व दिनांक 27.12.2019 तथा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 06.01.2020 में उल्लिखित व्यक्तिगत कारणों के दृष्टिगत, कारपोरेशन द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहायक अभियंता के पद से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रशासनिक स्वीकृति, दिनांक 20.11.2019 (अपरान्ह) से प्रदान की जाती है:–

1– श्री गऊलाल, सहायक अभियन्ता को पेंशनरी देयों व ग्रेच्युटी का निर्धारण दिनांक 16.05.2012 तक विभाग में की गयी सेवा के आधार पर किया जायेगा।

2– श्री गऊलाल, सहायक अभियन्ता को दिनांक 17.05.2012 से दिनांक 20.11.2019 तक असाधारण निर्वेतन अवकाश इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि अनुपस्थित–अवधि (दिनांक 17.05.2012 से दिनांक 20.11.2019) वेतन/भत्तों व पेंशनरी लाभों हेतु अनुमन्य नहीं होगी।

3– श्री गऊलाल, सहायक अभियंता को दिनांक 21.11.2019 से पेंशन अनुमन्य होगी।

श्री गऊलाल, सहायक अभियंता के पेंशन लाभों के निर्धारण करने से पूर्व अवशेष देय यदि कोई हों, का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पैनल रेन्ट आदि बकाया न हो। श्री गऊलाल (अभि0सं0–2001205), प्रोन्नत सहायक अभियंता होने के कारण, इनके अवर अभियंता काल से संबधित देयों, यदि कोई हों का समायोजन भी सुनिश्चत कर लिया जाए।

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष,

संख्या : 832 (।)अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020 तद्दिनांक : 19.08.2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3– निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।

5– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।

6– मुख्य अभियन्ता स्तर–1, (मा0स0 एवं प्रशा0), म0वि0वि0नि0लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।

स्पीड पोस्ट 7– मुख्य अभियन्ता (लेसा–सिस गोमती), म0वि0वि0नि0लि0, 33 / 11, के0वी0 बंगला बाजार उपकेन्द्र, प्रथम तल, लखनऊ।

8– मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– मुख्य अभियंता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10– उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्पीड पोस्ट 11– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–चतुर्थ, (सिस गोमती), लेसा, म0वि0वि0नि0लि0, 82–83, इन्द्रलोक हाईडिल कालोनी, कृष्णा नगर, लखनऊ।

12– उपसचिव–07, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

13– उपसचिव (गोपन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्पीड पोस्ट 14– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (सेस–प्रथम), सिस गोमती, लेसा, म0वि0वि0नि0लि0, 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, नादरगंज, अमौसी, लखनऊ।

15– अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

16– सचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

17– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

18– लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

स्पीड पोस्ट 19– श्री गऊलाल, सहायक अभियन्ता, सुतर खाना, सिविल लाईन्स, बाँदा को उनके द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2019 व दिनांक 07.12.2019 तथा शपथ पत्र दिनांक 06.01.2020 के सन्दर्भ में इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की, प्रश्नगत स्वीकृति में, वाणिज्यिक सेवायोजन की अनुमति अर्न्तनिहित नहीं है एवं अपने देयों के सम्बन्ध में वांछित प्रपत्र सम्बन्धित खण्ड / इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20– अनुभाग अधिकारी (अधि0 प्रब0–04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को आगामी माहवार रिक्तियों एवं पदधारिता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21– कट फाईल।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)